

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक
32/2011

विक्रम संवत्
2068

7(कृ०) आश्विन 1933 (शा०)
जमशेदपुर, सोमवार, 19/09/11

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।

विषय सूची

1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिघोषणा।

पृष्ठ संख्या
01-02

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा।
अधिसूचना

संख्या -595

दिनांक -30.08.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कामारीगोडा, परगना थाना-घाटशिला, थाना नं०- 331, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल०-52 वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- कामारीगोडा, के भीतर भूमि का 42 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 6.53 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या- 302, 299, 298, 301, 300, 297, 296, 294, 293, 291, 292, 290, 289, 70, 288, 71, 286, 287, 285, 438, 471, 470, 467, 479, 478, 480, 477, 578, 483, 482, 506, 505, 498, 499, 500, 502, 501, 496, 422, 462 एवं 421

चौहद्दी क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-79 एवं 70

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-289, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 301 एवं 302

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - गोविन्दपुर थाना नं० 300

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-302, 299, 298, 297, 294, 293, 291, 290, एवं 289

लगातार-2

(2)

चौहद्दी क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-70,288,71,286,285,438, 471, 467, 477, 483, 482, 505, 498 एवं 496
पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - चाकुलिया थाना नं0 328
दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-501,502,499,505,506,578,481,480,478,467,470,438,285,422,288एवं 289
पश्चिम:- पुर्ण खेसरा संख्या-69 एवं अंश खेसरा संख्या-70
नोट :- अनावाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-295 का रकबा 0.06 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त किया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-12, मनगो जमशेदपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 595 /

जमशेदपुर, दिनांक 30.08.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।